घटनाक्रम

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: जुलाई 2014 से जून 2015*

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
	मौद्रिक नीति विभाग
05 अगस्त 2014	एसएलआर में 50 आधार अंकों की कमी कर इसे एनडीटीएल के बराबर 22 प्रतिशत कर दिया गया । यह 9 अगस्त 2014 से प्रभावी हुई।
30 सितंबर	ईसीआर चलनिधि को पात्र निर्यात क्रेडिट बकाया के 32 प्रतिशत से कम कर 15 प्रतिशत कर दिया गया जो 10 अक्तूबर 2014 से प्रभावी हुआ।
15 जनवरी 2015	नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी कर इसे 7.75 प्रतिशत किया गया।
03 फरवरी	एसएलआर में 50 आधार अंको की कमी कर इसे एनडीटीएल का 21.5 प्रतिशत किया गया जो 7 फरवरी 2015 से प्रभावी हुआ। 7 फरवरी 2015 से ईसीआर सुविधा को प्रणाली स्तर की चलनिधि से बदल दिया गया।
20 फरवरी	सरकार और रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति ढांचे से संबंधित एक करार पर हस्ताक्षर किए, इसके द्वारा एक लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य को लागू किया गया।
04 मार्च	नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी कर इसे 7.5 प्रतिशत किया गया।
02 जून	नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी कर इसे 7.25 प्रतिशत किया गया।
	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
14 अगस्त 2014	वर्तमान, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की पुनर्रचना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के रूप में किए जाने के क्रम में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत स्व रोज़गार कार्यक्रम (एसईपी) के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए गए।
13 नवंबर	नाबार्ड के जरिए '*भूमि हीन किसान*' के संयुक्त देयता समूहों को 0.5 मिलियन का वित्त पोषण करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए।
03 दिसंबर	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत जैन समुदाय को अल्प संख्यक समुदाय में शामिल करने की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक समुदायों को दी जाने वाली सुविधाएं उन्हें भी देने के लिए अनुदेश जारी किए गए।
09 दिसंबर	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ब्याज अनुदान योजना के संबंध में 2014-15 के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
10 दिसंबर	प्राथिमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में कमी के श्रेणीकरण और इस प्रकार की श्रेणियों में बैंकों को उनके द्वारा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में जमा की गई राशियों पर देय ब्याज को पुनः संरचित किया गया। संशोधित जमा दरों को प्राथिमिक क्षेत्र के समग्र ऋण लक्ष्य में कमी के साथ जोड़ा दिया गया।
02 जनवरी 2015	एसएलबीसी समन्वयक बैंकों और अग्रणी बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे पीएमजेडीवाई के अनुरूप 2000 से कम आबादी वाली बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने संबंधी प्रक्रिया को 14 अगस्त 2015 तक पूर्ण करें, पहले इसके लिए मार्च 2016 तारीख नियत की गई थी।
28 जनवरी	बैंकों से कहा गया कि वे वैयक्तिक उधारकर्ताओं (एसएचजी एवं जेएलजी सहित) से सभी प्रकार के ऋणों के लिए जिसमें सरकार प्रायोजित योजनाएं भी शामिल हैं के तहत राशि की ओर ध्यान दिए बिना, 'बेबाकी प्रमाणपत्रट की तब तक मांग न करें जब तक कि सरकार प्रायोजित योजना में स्वयं ही इस प्रकार का 'बेबाकी प्रमाणपत्रट लेने का उल्लेख न किया गया हो।
25 फरवरी	पीएमजेडीवाई खातों में बैंकों द्वारा दिए गए ₹ 5,000/- तक के ओवरड्राफ्ट, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (अन्य श्रेणी) और कमजोर वर्गों को दिए गए उधार की श्रेणी में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि उधारकर्ता की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 60,000/- और ग्रामीण क्षेत्रों से इतर के लिए ₹ 1,20,000/- से अधिक न हो।
13 मार्च	निःशक्त लोगों को दिए गए प्राथिमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों को कमजोर तबकों की श्रेणी में वर्गीकृत करने की पात्रता प्रदान की गई।

*: यह सामग्री सांकेतिक प्रकृति की है। इसके विवरण रिज़र्व बैंक की वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
25 मार्च	प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
23 अप्रैल	आंतरिक कार्यसमूह की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित ऋण दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया।
21 मई	एसएचजी- बैंक संपर्क कार्यक्रम के तहत प्रगति हेतु रिपोर्टिंग फार्मेट को संशाधित किया गया ताकि एनआरएलएम एवं एनयूएलएम के तहत एसएचजी को वित्त प्रदान करने संबंधी आंकड़ों को अलग-अलग जुटाया जा सके।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
23 जुलाई 2014	सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश को ऐसी प्रतिभूतियों तक सीमित कर दिया गया जिनकी न्यूनतम अवशेष परिपक्वता तीन वर्ष हो।
08 सितंबर	एफपीआई को अगले 12 महीनों में बकाया होने वाली ऋण प्रतिभूतियों की कूपन प्राप्तियों पर मुद्रा जोखिम को भारत में हेज करने की अनुमति प्रदान की गई
30 सितंबर	अर्थसुलभ सरकारी प्रतिभूति के लिए अधिविक्रय की सीमा बढ़ाकर इसे बकाया स्टॉक का 0.75 प्रतिशत या ₹600 करोड़, जो भी कम हो, कर दिया गया। जैसा कि अभी तक प्रचलित था, एनडीएस-ओएम के अलावा, ओटीसी बाजार में अधिविक्रय कर सूचना देने की अनुमति प्रदान की गई।
30 सितंबर	पिछले निष्पादन रास्ते के तहत वायदा करारों को निश्चित करने की आयातकों की पात्रता सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया(निर्यातकों के समान ही)।
19 दिसंबर	एफ-टीआरएसी पर किए गए व्यापारों की प्रतिपक्षियों द्वारा भौतिक सत्यापन संबंधी आदान-प्रदान की अपेक्षा को हटा लिया गया।
14 जनवरी 2015	पिछले निष्पादन रास्ते के तहत हेजिंग के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के तिमाही प्रमाण पत्र की आवश्यकता को ग्राहक के सीएफओ एवं सीएस द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र से बदल दिया गया।
03 फरवरी	भारत में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बांडों को कॉर्पोरेट ऋण में रेपो के लिए पात्र अंतर्निहित के रूप में अनुमति दी गई।
03 फरवरी	काडपोरेट ऋण में एफपीआई के निवेश को उन लिखितों तक सीमित किया गया जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता न्यूनतम तीन वर्ष थी। अर्थसुलभ और मुद्रा बाजार में म्यूचुअल फंड योजनाओं मे एफपीआई निवेश को नामंजूर किया गया।
05 फरवरी	अनुसूचित वाणिजियक बैंकों, प्राथमिक डीलरों, म्यूचुअल फंडों और बीमा कंपनियों को रिवर्स रेपो के जरिए जुटाई गई जी-सेक के संबंध में री-रेपो करने की अनुमति प्रदान की गई।
13 फरवरी	निवासी संस्थाओं को रद्द किए गए स्वैप की अवधि समाप्त होने के बाद ही एफसीवाई-आईएनआर स्वैप को फिर से बुक करने की अनुमति प्रदान की गई।
20 मार्च	पूर्णतया द्वितीयक बाजार लेनदेनों में एफपीआई द्वारा जी-सेक को टी+2 में निपटान करने की अनुमति दी गई और उन्हें एनडीएस-ओएम पर रिपोर्ट किया गया।
31 मार्च	ईटीडीसी बाजार में, अंतर्निहित जोखिम की स्थापना अपेक्षा के बिना ही, घरेलू निवेशकों और एफपीआई द्वारा भागीदारी के लिए पोजीशन सीमाओं को अमरीकी डॉलर-आईएनआर के लिए बढ़ा कर 15 मिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया और ईयूआर-आईएनआर, जीबीपी-आईएनआर एवं जेपीवाई-आईएनआर जोड़ों के लिए, सभी को एक साथ जोड़कर, इसे 5 मिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया। ईटीडीसी बाजार में, सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र को जमा करने के स्थान पर इसे कंपनी के वित्त तथा लेखाओं के लिए वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी अथवा सीएफओ एवं सीएस द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा से बदल दिया गया।
14 मई	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (45) में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियों सहित, आरबीआई के पास पंजीकृत एनबीएफसी, जो एनबीएफसी के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करती हैं, उन्हें कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में सुलभ वायदा करार करने की अनुमति प्रदान की।
21 मई	रुपए के विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए, आईएनआर में अंकित बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) के विदेशी उधारदाताओं को यह अनुमति दी गई कि वे अपने विदेशी बैंकों से स्वैप कर लें जो कि भारत में किसी एडी श्रेणी-1 के साथ बैक-टु-बैक स्वैप करार करेगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
12 जून	4-8 वर्षों की और 11-15 वर्षों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाली जी-सेक में नकद में निपटान किए जाने वाले ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) की अनुमति प्रदान की गई। 10 वर्षीय नकद में निपटान किए जाने वाले आईआरएफ हेतु अंतर्निहित प्रतिभूति की अवशिष्ट परिपक्वता में छूट प्रदान कर उसे 8-11 वर्ष किया गया।
25 जून	एडी श्रेणी-1 बैंकों को अनुमत सीमाओं के भीतर, मामला-दर-मामला आधार पर रिज़र्व बैंक से अनुमति लिए बगैर निर्धारित अंतर-राष्ट्रीय/ बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की अनुमति प्रदान की गई।
	वित्तीय बाजार परिचालन विभाग
7 अगस्त 2014	रुपए की संदर्भ दर की गणना और प्रसार की प्रणाली को संशोधित किया गया, जो 1 सितंबर 2014 से प्रभावी हुई।
22 अगस्त	चलनिधि प्रबंध ढांचे में संशोधन किया गया जो 5 सितंबर 2015 से प्रभावी हुआ। रिपोर्टिंग पखवाड़े, अर्थात प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार, के दौरान प्रत्येक नीलामी में संपूर्ण प्रणाली के एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत के एक चौथाई के बराबर राशि के लिए 14-दिवसीय परिवर्तनशील दरों वाली मीयादी रिपो बिक्री को पूर्वाह्न 11:00 से 11:30 बजे के बीच, चार बार करने की संशोधित प्रणाली प्रारंभ की गई।
20 फरवरी 2015	21 फरवरी, 2015 से रिवर्स रेपो एवं मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी परिचालनों को सभी शनिवारों को भी प्रारंभ किया गया।
	विदेशी मुद्रा विभाग
03 जुलाई 2014	विदेशी सीधे निवेशों (ओडीआई) के लिए किसी भारतीय पक्ष द्वारा दी वित्तीय वचनबद्धता को उसकी नेट वर्थ के 400 प्रतिशत पर बहाल कर दिया गया, बशर्ते कि स्वचालित रास्ते के तहत वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया जाए।
07 जुलाई	पोत-लदान की तारीख से 180 दिन से अनधिक अवधि के लिए बेज़मानती ऋण की अनुमति दी गई।
14 जुलाई	किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए आंशिक भुगतान किए गए ईक्विटी शेयरों और वारंटों को एफआईआईज़/आरएफपीआईज़ द्वारा एफडीआइ एवं एफपीआई के लिए पात्र लिखत बनाया गया।
15 जुलाई	स्वतंत्र संव्यवहार के सिद्धांत के आधार पर गैर-सूचीबद्धा कंपनियों के मामले में अंतर-राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य किसी मूल्य पद्धति और सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निकाली गई कीमत पर अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयरों और डिबेंचरों सहित शेयरों का निर्गम तथा अंतरण करने की अनुमति प्रदान की गई।
17 जुलाई	निवासी व्यक्तियों को विदेश में अचल संपत्ति खरीदने के लिए एलआरएस के तहत धन विप्रेषण की अनुमति प्रदान की गई।
21 जुलाई	भारतीय यूनिक पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा ई-केवाईसी सेवा प्रारंभ की गई, जिसे धन शोधन की रोकथाम (रिकार्डों का रख-रखाव) नियमावली, 2005 के तहत केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार्य किया गया।
22 जुलाई	परियोजनाओं/ आस्थगित सेवा निर्यात प्रस्तावों जो कि 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के हों, पर कार्यदल द्वारा विचार की जाने वाली प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्राधिकृत व्यापारी बैंकों/ एक्जिम बैंक को इस बात की अनुमति प्रदान की गई कि वे बिना किसी प्रकार की मौद्रिक सीमा के कार्य-मिलने के पश्चात अनुमोदन प्रदान करें एवं अनुमोदन के संदर्भ में बाद में होने वाले परिवर्तनों को भी संगत फेमा दिशानिर्देशों तथा विनियमनों के भीतर अनुमति प्रदान करें।
23 जुलाई	एफआईआई/ क्यूएफआई/ एफपीआई के लिए जी-सेक में निवेश सीमा को 5 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़ाया गया, तदनुसार, 30 बिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा के भीतर दीर्घकालिक निवेशक केलिए उपलब्ध 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि को कम कर 5 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया।
27 अगस्त	प्राधिकृत डीलरों को मौजूदा ईसीबी का पुनः वित्त पोषण करने के लिए कम समग्र लागत पर नई ईसीबी लेने की अनुमति प्रदान की गई, जहां नई ईसीबी का औसत परिपक्वता अवधि मौजूदा ईसीबी की अवशिष्ट परिपक्वता से अधिक ही क्यों न हो।
28 अगस्त	पात्र निवेशकों को प्रचलित/अनुमोदित बाजार प्रथाओं के अनुरूप किसी भी प्रकार से जी-सेक को अधिग्रहीत करने की अनुमति प्रदान की गई।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
03 सितंबर	पात्र उधारकर्ताओं को अन्य सभी चिह्नित उधारदाताओं से रुपए में अंकित ईसीबी उठाने की अनुमति दी गई जो विदेशी ईक्विटी होल्डर्स के लिए पूर्व में अनुमत मात्रा के अतिरिक्त थी।
08 सितंबर	एफपीआईज़ को अनुमति दी गई कि वे भारत में उठाई गई ऋण प्रतिभूतियों से प्रवर्तित ऐसी कूपन रसीदों को हेज करें जो कि अगले 12 महीनों में देय होने वाली हैं बशर्ते कि निरस्त किए गए हेज करार फिर से बुकिंग के पात्र नहीं होंगे।
17 सितंबर	भारतीय कंपनियों को उनके द्वारा देय किसी निधि के भुगतान के प्रति ईक्विटी जारी करने की अनुमति दी गई, जिसके विप्रेषण के लिए सरकार या रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति अपेक्षित नहीं थी।
30 सितंबर	आयातकों को पिछली निष्पादन पद्धति के तहत पात्र सीमा के 100 प्रतिशत तक, वायदा करार करने की अनुमति प्रदान की गई।
20 नवंबर	सभी श्रेणी के निर्यातकों के लिए निर्यात प्रतिफलों की उगाही तथा प्रत्यावर्तन के लिए समय सीमा 9 माह निर्धारित कर दी गई।
21 नवंबर	प्राधिकृत डीलरों को अनुमति दी गई कि वे पात्र ईसीबी उधारकर्ताओं को भारत में एडी श्रेणी-1 बैंकों के पास सावधि जमा के रूप में ईसीबी प्रतिफलों को अधिकतम छह माह तक जमा करने की अनुमति दें, जब तक कि अनुमत अंतिम उपयोग तक उनका उपयोग न हो जाए।
21 नवंबर	प्राधिकृत डीलरों और पूर्ण रूपेण मुद्रा परिवर्तकों को अनुमति दी गई कि वे पूर्ण मूल यात्रा कोटा (बीटीक्यू)या हज/उमराह तीर्थयात्रियों के लिए भारतीय हज समिति द्वारा निर्धारित की गई नकद सीमा तक नकदी जारी कर सकते हैं।
28 नवंबर	'20:80' योजना जिसमें यह अपेक्षा की गई थी कि आयातित स्वर्ण के 20 प्रतिशत का निर्यात किया जाना है, को वापस ले लिया गया।
02 दिसंबर	आस्तियों का विदेश विप्रेषण करने के लिए लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया और प्राधिकृत डीलरों को अनुमति दी गई कि वे लागू करों के भुगतान के बाद विप्रेषण कर दें।
08 दिसंबर	रक्षा क्षेत्र में सरकारी अनुमोदन के जरिए 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी गई।
08 दिसंबर	स्वचालित माध्यम से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 प्रतिशत तक की एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई।
09 दिसंबर	देशी वेंचर पूंजी निधि की तर्ज पर सेबी के पास पंजीकृत एक वैकल्पिक निवेश निधि को विदेशों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई।
17 दिसंबर	बहुपक्षीय संगठनों जैसे कि सार्क विकास निधि (एसडीएफ), जिसका भारत भी एक सदस्य है, को भारत में प्राधिकृत डीलर बैंकों के पास खाते खोलने की अनुमति, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना, प्रदान की गई।
29 दिसंबर	नियत प्राधिकृत डीलर बैंकों को अनुमति दी गई कि वे किसी भारतीय पक्ष के संयुक्त उपक्रम/ पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी/ एसडीएस के शेयरों पर किसी घरेलू या विदेशी उधारदाता के पक्ष में प्रभार बना सकते/उन्हें गिरवी रख सकते हैं ताकि भारतीय पक्ष अथवा उसके समूह की कंपनियों/ अनुषंगी संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं या उसके किसी संयुक्त उपक्रम/पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी/एसडीएस द्वारा निधि-युक्त और/निधि-मुक्त सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सके।
01 जनवरी 2015	ईसीबी उठाने के लिए पात्र प्रतिभूतियों के आधार को और व्यापक बनाया गया और इसमें अचल आस्तियों के अलावा, चल आस्तियों तथा वित्तीय प्रतिभूतियों को शामिल किया गया।
06 जनवरी	निवासी जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनुषंगियां हैं उन्हें भारत में प्राधिकृत श्रेणी-1 के बैंकों के पास अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र को हेज करने की अनुमति प्रदान की गई जो कि अनिवासी समेह संस्था की गारंटी की शक्ति पर निर्भर करेगा।
22 जनवरी	एडीआर/जीडीआर के तहत निवेश के लिए एक नई योजना 'खजाना प्राप्तियां योजना, 2014' की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की अपेक्षित सीमा को छोड़कर, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों तथा साधारण शेयर (खजाना प्राप्ति प्रणाली के माध्यम से) योजना, 1993 के मौजूदा दिशानिर्देशों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया।
22 जनवरी	भारत में किसी कंपनी समूह में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों तथा सीमित देयता साझेदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) के कर्मचारियों को भारत से बाहर वेतन प्रेषित करने की सुविधा प्रदान की गई।
22 जनवरी	लोगों को व्यक्तिगतरूप से ₹25000/- तक, रिज़र्व बैंक के ₹100/- से अधिक के मूल्यवर्गित करेंसी नोट नेपाल या भूटान लेकर जाने की अनुमति प्रदान की गई।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
23 जनवरी	एडी बैंकों को ईसीबी, इसमें आहरण द्वारा होने वाली कमी, चुकौती की समय-सारणी, परिपक्वता की औसत अवधि तथा कुल लागत में परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत किया गया।
12 फरवरी	आयात का भुगतान करने के लिए एडी के पास फार्म ए-1 प्रस्तुत करने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया।
12 फरवरी	ई-बिज प्लेटफार्म पर निम्नलिखित विवरणियां दर्ज करने की व्यवस्था की गई : कंपनियों द्वारा एफडीआई के अंतर्वाह की रिपोर्ट करने के लिए प्रयुक्त उन्नत विप्रेषण फार्म (एआरएफ) तथा उक्त एफडीआई अंतर्वाह के बदले में विदेशी ग्राहकों को जारी किए गए लिखतों की रिपोर्ट करने के लिए एफसीजीपीआर फार्म।
11 मार्च	मकाऊ तथ हांगकांग के नागरिकों पर भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण/अंतरण पर बंदिश लगाई गई, जो चीन के नागरिकों पर लगाई गई बंदिश के समान है।
31 मार्च	आईएफएससी में स्थापित किए गए किसी वित्तीय संस्थान या वित्तीय संस्थान की शाखा को भारत से बाहर निवासी व्यक्ति माना जाएगा।
08 अप्रैल	बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई।
30 अप्रैल	भारत से मर्चेंट व्यापार के तहत अन्य देशों से नेपाल एवं भूटान के आयातकों को भेजे गए सामान को ट्रैफिक-इन-ट्रांजिट माना जाएगा, यदि भेजा जाने वाला सामान अन्यथा, क्रमशः पारवहन की भारत-नेपाल संधि तथा पारवहन की इंडो-भूटान संधि के प्रावधानों के अनुसार हो।
14 मई	इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के अंतःपरिवर्तन (ईडीआई) पोर्टों के माध्यम से निर्यात किए जाने की स्थिति में वस्तुओं/सॉफ्टवेयर के निर्यात की घोषणा सांविधिक घोषणा प्रपत्र (एसडीएफ) में किए जाने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया क्योंकि एसडीएफ में समाहित अनिवार्य सांविधिक अपेक्षाओं को पोत बिल प्रपत्र में शामिल कर दिया गया था।
21 मई	प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) से कहा गया कि एफसीएनआर(बी) जमा खातों को बंद करने के समय प्रपत्र 2 तथा खाता धारक की भौतिक उपस्थिति पर जोर नहीं दें।
21 मई	रुपया आहरण व्यवस्था के तहत व्यापार के लिए लेनदेन की सीमा प्रति लेनदेन ₹500,000 से बढ़ाकर ₹150,0000 कर दी गई।
01 जून	उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विप्रेषण की सीमा, विदेशी विनिमय प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 की अनुसूची III के तहत विभिन्न सीमाओं को शामिल करते हुए, 2,50,000/- अमरीकी डॉलर की समावेशी सीमा तक बढ़ाई गई।
11 जून	अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को चिट फंडों की, गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर बिना किसी निर्धारित सीमा के , सदस्यता लेने की अनुमति प्रदान की गई।शर्त यह थी कि चिट पंजीयक ने किसी चिट फंड को ऐसी अनुमति दी हो और यह सदस्यता सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से ली गई हो। इसमें भारत स्थित किसी बैंक में धारित खाते के माध्यम से ली गई सदस्यता भी शामिल है।
18 जून	जून 2015 को समाप्त छमाही से बीईएफ ऑनलाइन और बैंक-वार जमा की जाएगी।
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	
15 जुलाई 2014	बैंकों को आधारभूत संरचना एवं मूलभूत उद्यम क्षेत्र में नई परियोजनाओं को आवधिक पुनर्वित्तीयन विकल्प सहित संरचित दीर्घावधि परियोजना ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई।
15 जुलाई	बैंकों को अपने आधारभूत संरचना एवं वहनीय आवास ऋणों के पुनर्वित्तीयन हेतु दीर्घावधि बांड (न्यूनतम 7 वर्ष) जारी करने की अनुमति दी गई, साथ ही सीआरआर/एसएलआर तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए एएनबीसी की गणना की अनिवार्यता से भी छूट दी गई।
17 जुलाई	बैंकों को केवाईसी के लिए आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों (ओवीडी) का निर्धारण करने को कहा गया। कम जोखिम वाले ग्राहकों द्वारा खाता खोलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया।
22 जुलाई	बैंकों को, गैर-कृषिगत कार्य के लिए स्वर्ण आभूषणों एवं गहनों को गिरवी रखकर, मूलधन तथा ब्याज के एक बारगी (बुलेट) चुकौती सहित ऋण की राशि निर्धारित करने की अनुमति दी गई।
07 अगस्त	बैंकों को, अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) से पूर्व-निर्धारित करार के बिना भी वर्तमान परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तीयन करने तथा अपेक्षाकृत लंबी चुकौती अवधि निर्धारित करने की अनुमति दी गई। इसे वर्तमान के साथ ही साथ भार अधिग्रहण करने वाले ऋणदाताओं की बहियों में भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
14 अगस्त	जहां पर प्रारंभिक वित्तीय पूर्णता (इनिशियल फाइनेंसियल क्लोजर) में आपाती (स्टैंडबाई) ऋण सुविधा का प्रावधान नहीं हो, वहां पर बैंकों को ऋण को 'पुनर्रचित आस्ति' माने बिना लागत में बढ़ोत्तरी की निधीयन करने की अनुमति प्रदान की गई।
01 सितंबर	बैंकों से, ऋण प्रस्तावों के निपटान के लिए स्पष्टरूप से प्रक्रिया निरूपित करने को कहा गया, जिसमें समुचित समय सीमाएं निर्धारित हों तथा विशिष्ट अवधि के बाद लंबित आवेदनों की समीक्षा के निए उचित निगरानी प्रणाली भी हो। बैंकों से ऋण संबंधी निर्णयों को समय सीमा के अंदर संप्रेषित करने करने के लिए भी उचित घोषणाएं करने को कहा गया।
01 सितंबर	गैर-इक्विटी विनियामकीय पूंजी लिखतों को हासिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए बासेल III ढांचे के अंतर्गत बैंकों की, पूंजीगत लिखतों के संबंध में, विशिष्ट पात्रता शर्तों को शिथिल किया गया।
04 सितंबर	केवाईसी की शर्तों को सुसंगत बनाने के लिए क्लाइन्ट के संबंध में सावधानी बरतने के उपायों को और सरल बनाया गया, जिसके तहत आवधिक अद्यतन किए जाने के समय 'सकारात्मक पुष्टि' एवं भौतिक रूप से क्लाइंट के उपस्थित होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया।
09 सितंबर	निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई, जिसमें किसी विशिष्ट बैंक का बोर्ड लचीला रूख अपनाते हुए आंतरिक नीति के रूप में, एमडी एवं सीईओ सहित पूर्णकालिक निदेशकों की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष से कम निर्धारित कर सकता है।
09 सितंबर	जानबूझकर चूक कर्ताओं के संबंध में दिशानिर्देशों में गारंटी देने वाले, ऋण देने वाले एवं इकाई की परिभाषाएं तय की गईं।
16 अक्तूबर	परिचालनगत जोखिम के उन्नत दृष्टिकोणों के संबंध में दिशानिर्देशों के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण तथा उन्नत माप दृष्टिकोण को संशोधित किया गया।
21 अक्तूबर	केवाईसी की शर्तों को और अधिक सरल बनाया गया : 'निम्न जोखिम' ग्राहकों को आवधिक अद्यतन किए जाने के समय फिर से केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी; कोई परिवर्तन नहीं होने की दशा में स्वयं द्वारा प्रमाणीकरण पर्याप्त होगा। बारंबार अनुस्मारक भेजे जाने के बाद भी केवाईसी का अनुपालन नहीं करने वाले खातों के संबंध में बैंक चरणबद्ध ढंग से 'पार्सियल फ्रीजिंग' कर सकते हैं।
21 अक्तूबर	मूलधन या ब्याज के 60 दिनों से अधिक से बकाया वाले किसी खाते की विशेष उल्लेख खाता (एसएमए2) के रूप में रिपोर्ट करने; संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) बनाए जाने और स्वतंत्र मूल्यांकन समिति द्वारा पुनर्रचना पैकेजों के मूल्यांकन एवं सुधारात्मक कार्य-योजना के निर्धारण की समय-सीमा बढ़ाई गई।
03 नवंबर	अंत:दिवसीय (इन्ट्रा-डे) चलनिधि प्रबंध के संबंध में, बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा इस संबंध में निर्धारित मात्रात्मक टूल्स के अनुरूप निगरानी टूल्स के बारे में समापक दिशानिर्देश जारी किए गए।
20 नवंबर	बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं रखे जाने के लिए प्रभार लगाते समय, न्यूनतम शेष राशि रखने में हुई चूक की जानकारी ग्राहक को स्पष्टरूप से दी जानी चाहिए तथा दांडिक प्रभारों को न्यूनतम राशि में कमी की प्रेक्षित अवधि के प्रत्यक्षरूप से समानुपातिक होना चाहिए।
27 नवंबर	आधारभूत संरचना और वहनीय आवास के निधीयन के लिए, जारी किए गए बांडों तथा पात्र ऋण (ईसी) की बकाया राशि में से जो कम हो उसे निर्धारित करने के तरीके को संशोधित किया गया ताकि बांडों को जारी किए जाने की तारीख को बकाया ऋण संबंधी पूर्व की अपेक्षाओं के स्थान पर रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित प्रत्येक शुक्रवार को बकाया ऋण को हिसाब में लिया जा सके।
28 नवंबर	चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना करने के लिए, सरकारी-प्रतिभूतियों में एनडीटीएल के और पांच प्रतिशत तक, जो अनिवार्य एसएलआर के अंतर्गत हो, किए जाने की अनुमति स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में प्रदान की गई। बैंकों को विशेष सुविधा 'चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा' के तहत ऐसी प्रतिभूतियों के बदले में चलनिधि सुविधा का लाभ लेने की अनुमति प्रदान की गई।
15 दिसंबर	दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की लचीली पुनर्रचना एवं पुनर्वित्तीयन अवधि संबंधी ढांचे का विस्तार आधारभूत संरचना एवं मूल उद्योगों की परियोजनाओं के वर्तमान ऋणों तक किया गया, जिसमें सभी संस्थागत ऋणदाताओं का समग्र एक्सपोजर ₹5 बिलियन से अधिक हो गया।
22 दिसंबर	असहयोगी उधारकर्ता को पुनः परिभाषित किया गया गया, जो इस प्रकार है - कोई ऐसा व्यक्ति, जो भुगतान करने की क्षमता होते हुए भी बकाया की समय पर चुकौती नहीं करते हुए ऋणदाता के साथ रचनात्मक ढंग से व्यवहार नहीं करता, मांगी गई आवश्क जानकारी नहीं देकर बकाया वसूली के लिए ऋणदाता के प्रयासों को व्यर्थ करता हो, वित्तपोषित आस्तियों/संपार्श्विक प्रतिभूतियां उपलब्ध कराने से मना करता हो, प्रतिभूतियों की बिक्री में बाधाएं उत्पन्न करता हो, इत्यादि।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
08 जनवरी 2015	लिवरेज अनुपात (एलआर) की एक साथ गणना करने (पैरेलल रन) के साथ ही टिअर 1 एलआर की सार्वजनिक घोषणा किए जाने हेतु ढांचे में संशोधन किया गया। बीसीबीएस द्वारा 2017 की समाप्ति तक नियमों के निर्धारण के लंबित रहने तक किसी विशिष्ट बैंक की निगरानी 4.5 प्रतिशत के सांकेतिक एलआर के अनुसार किया जाएगा।
15 जनवरी	बैंकों द्वारा किए जाने वाले बीमा कारोबार, नामतः जोखिम सहभागिता सहित बीमा कारोबार/या अभिकर्ताओं/आढ़तियों के रूप में, के संबंध में समग्र दिशानिर्देश जारी किए गए।
15 जनवरी	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चारों ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) का सदस्य बनने को कहा गया। इसके लिए सदस्यता और वार्षिक शुल्क भी निर्धारित किए गए।
19 जनवरी	बैंकों को आधार दर प्रणाली की समीक्षा पांच वर्षों के स्थान पर तीन वर्षों के बाद करने की अनुमति प्रदान की गई। वर्तमान उधारकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु ग्राहकों पर लगाए जाने वाले प्रभारों के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी किए गए।
05 फरवरी	प्रतिचक्रीय पूंजीगत बफर (सीसीसीबी) लागू किए जाने के संबंध में समापक दिशानिर्दश जारी किए गए। हालांकि, सीसीसीबी को परिस्थितियों की मांग के अनुसार सक्रिय किया जाएगा।
05 मार्च	मकान/निवास स्थल का मूल्य ₹1 मिलियन से अधिक नहीं होने पर बैंकों को एलटीवी अनुपात की गणना करने के लिए मकान/निवास स्थल के मूल्य में मुद्रांक शुल्क, पंजीकरण तथा दस्तावेजीकरण के अन्य प्रभारों को जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई।
11 मार्च	बैंकों को 26 फरवरी 2014 से पहले की गई एनपीए की एससी/आरसी को की गई बिक्री के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को उनके लाभ-हानि खाते में वापस करने की अनुमति प्रदान की गई।
13 मार्च	स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते खोलने के लिए बैंकों को गतिविधि के प्रमाण के रूप में एक दस्तावेज स्वीकार करने के विवेक का प्रयोग करने की अनुमति दी गई बशर्ते वे संपर्क बिंदुओं के बारे में अपनी संतुष्टि स्तर तक पुष्टि कर लें और इस तरह के दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं रहा हो।
20 मार्च	बैंकों को प्रतिभूति प्राप्तियों की अपनी धारिता के विवरण निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक वित्तीय खातों में टिप्पणी के रूप में प्रकट करने को कहा गया।
30 मार्च	बैंकों को उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए दिसंबर 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार बफर/फ्लोएटिंग प्रावधान करने हेतु 50 प्रतिशत तक प्रतिचक्रीय प्रावधान का उपयोग करने की अनुमति दी गई।
31 मार्च	बैंकिंग पर्यवेक्षण संबधी बासेल समिति (बीसीबीएस) के अनुरूप विनियामकीय निरंतरता मूल्यांकन कार्यक्रम (आरसीएपी), पूंजी पर्याप्तता तथा चलनिधि विनियमन संबंधी बासेल III के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया।
01 अप्रैल	गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी (जीआईएफटी) में आईबीयू की स्थापना करने तथा भारत में स्थापित की जा सकने योग्य अन्य आईएफएससी की योजना तैयार तैयार की गई। योजना के तहत, आईबीयू की स्थापना कम से कम 20 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा के साथ की जाएगी।
01 अप्रैल	धोखाधड़ी होने की स्थिति में, बैंक की बकाया संपूर्ण राशि या जिसकी देयता बैंक पर है, का प्रावधान चार से अधिक तिमाहियों में नहीं किया जाना चाहिए।
06 अप्रैल	जब कोई परियोजना की शुरूआत प्राथमिकरूप से वर्तमान प्रवर्तकों की अपर्याप्तता के कारण की जाए और उसके बाद स्वामित्व में परिवर्तन हो, तो बैंक डीसीसीओ के वर्तमान विनियमों के अंतर्गत अनुमत्य विस्तार के अलावा, और दो वर्षों के लिए डीसीसीओ के विस्तार की अनुमति इस प्रकार से प्रदान कर सकते हैं कि इस प्रकार की परियोजनाओं को दिए गए ऋणों की आस्ति गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
06 अप्रैल	रुपया में दिए गए ऋणों का विदेशी मुद्रा में पुनर्वित्तीयन या इसके विपरीत प्रक्रिया को 'पुनर्रचना' माना जाएगा यदि ऐसा पुनर्वित्तीयन ऐसे उधारकर्ता को दिया जाए जो वित्तीय कठिनाई झेल रहा हो और इसमें इस प्रकार की रियायतें दी गई हों जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करता।
16 अप्रैल	बैंकों को, समयपूर्व आहरण की सुविधा के गुणों के आधार पर मीयादी जमाओं पर विशेष ब्याज दर का प्रस्ताव करने की अनुमति दी गई। ₹1.5 मिलियन एवं उससे कम की व्यक्तिगत मीयादी जमाराशियों पर समयपूर्व आहरण की सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।
14 मई	सरकारी बैंकों से कहा गया कि अपने बोर्ड के अनुमोदन से बोर्ड की कार्यसूची की मदें तथा उनकी आवधिकता तय करें ताकि कार्यनीति और वित्तीय महत्व के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
21 मई	एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री से दो वर्षों की अवधि के दौरान हुए नुकसान के परिशोधन के लिए अवधि का विस्तार 31 मार्च 2016 तक बिक्री की गई आस्तियों के लिए किया गया।
28 मई	निजी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया कि जहां तक संभव हो, पीएसबी बोर्डों द्वारा समीक्षा के कैलेंडर के संबंध में 14 मई 2015 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करें।
28 मई	बैंकों से कहा गया कि बड़े कृषिगत सामग्री का प्रसंस्करण करने वालों, व्यापारियों, मिल वालों तथा समूहकों जैसे बड़े उधारकर्ताओं को कृषिगत सामग्री के मूल्यों से संबंधित जोखिमों को हैज करने के लिए प्रोत्साहित तथा शिक्षित करें।
01 जून	निजी बैंकों को गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक अध्यक्ष के अलावा) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र क्षतिपूरक योजना तैयार करने को कहा, जिसमें क्षतिपूर्ति को लाभ से संबंधित कमीशन के रूप में कवर किया गया हो। प्रत्येक गैर-कार्यपालक निदेशक के लिए क्षतिपूर्ति ₹1 मिलियन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
01 जून	आधारभूत संरचना तथा वहनीय आवास के वित्तीयन के लिए जारी किए गए दीर्घावधि बांडों की बैंकों के बीच प्रतिधारिता की अनुमति प्रदान की गई।
08 जून	'कार्यनीतिगत कर्ज पुनर्रचना (एसडीआर) योजना' जारी की गई जिसमें बैंक ऋण बकाया राशि को निर्धारित मूल्यन सूत्र के अनुसार 'उचित मूल्य' में इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई। ऐसे इक्विटी शेयर सेबी से संबधित विनियमनों से मुक्त होंगे।
11 जून	अखिल भारतीय मीयादी ऋण तथा पुनर्वित्तीयन संस्थान (एआईएफआई) को एनपीए (एससी/आरसी को 26 फरवरी 2014 के पहले बेचे गए) की बिक्री से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान को अपने लाभ-हानि लेखा में वापस करने की अनुमति दी गई।
11 जून	केवाईसी के लिए बैंकों को कम-जोखिम वाले ग्राहकों से उपयोगिता बिलों, म्यूनिसिपल कर रसीद, बैंक खाता के विवरण तथा पेंशन भुगतान आदेशों जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों को आधिकारिक मान्य दस्तावेजों (ओवीडी) के रूप में स्वीकार करने को कहा गया।
सहकारी बैंक विनियमन विभाग	
20 अगस्त 2014	सीबीएस समर्थित यूसीबी जिनकी न्यूनतम मूल्यांकित निवल मालियत ₹500 मिलियन हो, जो एफएसडब्लूएम शर्तों को पूरा करते हों तथा उनका विनियामिकीय अनुपालन का अच्छा रिकॉर्ड हो, उनको रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति बगैर साइट पर/ साइट से परे/मोबाइल एटीएम खोलने की अनुमति प्रदान की गई।
03 सितंबर	अधिग्रहण करने वाले वाणिज्य बैंकों को यूसीबी के विलय/आस्तियों और देयताओं के अंतरण से हाने वाले किसी भी प्रकार की हानि वहन नहीं करना चाहिए और ₹0.1 मिलियन से अधिक जमाराशि धारित करने वाले प्रत्येक जमाकर्ता को लक्षित बैंक की जमाराशि में कमी को समानुपातिक ढंग से वहन करना होगा।
13 अक्तूबर	सीबीएस को लागू करने के बाद उसे छोड़कर आईपीवी6 को अपनाने वाले सभी यूसीबी को इंटरनेट बैंकिंग (सिर्फ देखना) की सुविधा दी गई।
13 अक्तूबर	यूसीबी के लिए एफएसडब्लूएम शर्तों को संशोधित करते हुए साइट पर/साइट से परे/मोबाइल एटीएम खोलने, वार्षिक कारोबारी योजना (एबीपी) के अंतर्गत आवेदन करने, कारोबारी क्षेत्र का विस्तार करने तथा स्थान बदलने के लिए सीबीएस को एक अतिरिक्त शर्त के रूप में जोड़ा गया।
29 अक्तूबर	आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐजेंसी के साथ समझौता करके यूसीबी को पीएएन सर्विस ऐजेंट (पीएसए) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई।
29 अक्तूबर	आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐजेंसी के साथ समझौता करके यूसीबी को पीएएन सर्विस ऐजेंट (पीएसए) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई।
30 अक्तूबर	यूसीबी द्वारा एक बारगी (बुलेट) चुकौती योजना के अधीन स्वर्ण ऋण मंजूर करने की अधिकतम सीमा को ₹0.1 मिलियन से बढ़ाकर ₹0.2 मिलियन किया गया।
30 अक्तूबर	जहां कहीं पर भी लोगो/ब्रांड तैयार करने के लिएयूसीबी का संक्षिप्त नाम/संक्षेपाक्षर प्रयोग किया जाता हो, वहां पर उस बैंक के रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत पूर्ण नाम को प्रमुखता से दर्शाया जाना चाहिए।
05 नवंबर	यूसीबी, पीएमएल अधिनियम, 2012 के अधीन अनिवार्यताओं के अनुपालन हेतु वरिष्ठ प्रबंध या उसके समतुल्य पद धारित करने वाले वाले व्यक्ति को 'नामित निदेशक' के रूप में नामित कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी मामले में मुख्य अधिकारी को 'नामित निदेशक' के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
13 नवंबर	यूसीबी को चेक प्रस्तुत करने/पास करने तथा लेखा निगरानी की समीक्षा करने और नियंत्रण मजबूत करने को कहा गया।
27 नवंबर	यूसीबी की अनियमितताओं/कमियों को प्रारंभिक स्तर पर ठीक करने के लिए विनियामकीय कार्ययोजना के ढांचे में संशोधन किया गया। संशोधित मानदंड में सकल एनपीए अनुपात के 10 प्रतिशत से अधिक होने, विनियामकीय पूंजी के 9 प्रतिशत से कम हो जाने, जमा-ऋण अनुपात का 70 प्रतिशत से अधिक हो जाने या जब यूसीबी लगातार दो वर्षों से हानि में रहा हो अथवा हानियों का जमाव हो रहा हो जैसे किसी भी सतर्कता बिंदु के भंग होने की स्थिति में पाबंदी लगाने/सुधारात्मक कदम उठाने की व्यवस्था है।
07 जनवरी 2015	यूसीबी को ₹10 मिलियन या अधिक से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति गठित करने को कहा गया। हालांकि, लेखापरीक्षा समिति बोर्ड (एसीबी) धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी सामान्यतः जारी रखेगी।
08 जनवरी	राज्य सहकारी बैंको/सीसीबी द्वारा एक बारगी (बुलेट) चुकौती योजना के तहत मंजूर किए जाने वाले ऋण की राशि को ₹0.1 मिलियन से बढ़ाकर ₹0.2 मिलियन किया गया।
29 जनवरी	सहकारी बैंकों को सभी चार सीआईसी का सदस्य बनने और सीआईसी को ऐतिहासिक आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा गया।
16 अप्रैल	निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले राज्य सहकारी बैंकों को उनकी आवश्यकता और उनके कार्यक्षेत्र में क्षमता के अनुसार, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना, साइट पर/साइट से परे/मोबाइल एटीएम खोलने की अनुमति दी गई।
30 अप्रैल	वित्तीयरूप से मजबूत तथा सुप्रबंधित (एफएसडब्लूएम) अनुसूचित यूसीबी, जो सीबीएस समर्थित भी हों और जिनकी न्यूनतम निवल मालियत ₹1 बिलियन हो, उनको प्राधिकृत संस्थाओं के सहयोग से क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।
05 मई	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत कार्य नहीं करने वाले प्राथमिक यूसीबी, जो सीबीएस समर्थित हों और उनके पास सीबीएस/हैंड हेल्ड डिवाइसों में आवश्यक मॉड्यूल तैयार करने की क्षमता हो, को 31 मई 2015 तक प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) प्रारंभ करने और इन योजनाओं में शामिल होने को कहा गया।
07 मई	संशोधित निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले राज्य सहकारी बैंकों को शाखाएं/ विशेषीकृत शाखाएं/विस्तार केंद्र खोलने/शाखाओं का स्थान परिवर्तित करने/विस्तार केंद्रों को पूर्ण शाखाओं में उन्नयन करने के पूर्वानुमोदन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।
14 मई	धोखाधड़ी के सभी मामलों में एकसमान प्रावधानीकरण मानदंडों का निर्धारण किया गया। ऐसी संपूर्ण राशि, जो बैंक की बकाया हो या जिसकी देयता बैंक पर हो, का प्रावधान किया जाना चाहिए जिसकी अवधि चार तिमाही से अधिक नहीं होना चाहिए। धोखाधड़ी की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को किए जाने में निर्धारित समय से अधिक विलंब होता है तो संपूर्ण राशि के लिए प्रावधान एक ही बार में किए जाने की आवश्यकता होगी।
25 मई	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत कार्य नहीं करने वाले प्राथमिक यूसीबी, जो सीबीएस समर्थित हों और उनके पास सीबीएस/हैंड हेल्ड डिवाइसों में आवश्यक मॉड्यूल तैयार करने की क्षमता हो, को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में शामिल होने को कहा गया।
गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग	
10 जुलाई 2014	जमा खाता खोलने के समय या आवधिक अद्यतन किए जाने के समय ग्राहकों को पते का सिर्फ एक दस्तावेजी प्रमाण (वर्तमान या स्थायी) की आवश्यकता होगी।
14 जुलाई	एनबीएफसी से कहा गया कि व्यक्तिगत उधारकर्ताओं से परिवर्तनशील दर वाले मीयादी ऋणों के समयपूर्व भुगतान पर दांडिक प्रभार नहीं लगाए जाएं।
14 जुलाई	केवाईसी सत्यापन के लिए ई-केवाईसी जांच प्रक्रिया को मान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि धन-शोधन (दस्तावेजों का रखरखाव) नियम, 2005 के तहत केवाईसी अपेक्षाओं के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) में उपलब्ध जनांककीय विवरण एवं फोटोग्राफों को 'आधिकारिक मान्य दस्तावेज' माना जाएगा।
25 जुलाई	एनबीएफसी से कहा गया कि जहां कहीं भी प्रयोज्य हो वहां वैश्विक मध्यस्थता पहचान संख्या (जीआईआईएन) प्राप्त करें।
01 अगस्त	एनबीएफसी से कहा गया कि जब कभी भी आवश्यकता हो, विशेष जांच दल (एसआईटी) को अपेक्षित सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
05 अगस्त	प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्रचना कंपनियों (एससी/आरसी) से अपेक्षा थी कि प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर) के शोधन होने तक उनके द्वारा जारी प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक योजना की प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा निवेश करें। प्रबंध शुल्क की गणना की जानी चाहिए और गणना उस पर न्यूनतम निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के प्रतिशत के अनुसार की जानी चाहिए जिसका निर्धारण क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी द्वारा किया गया हो (वर्तमान में बकाया एसआर के प्रतिशत के स्थान पर)। किंतु प्रबंध शुल्क अंतर्निहित परिसंपत्ति के अधिग्रहण मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। आस्ति पुनर्रचना कंपनियों (एआरसी) को भी संयुक्त उधारदाता फोरम का सदस्य होना चाहिए। एआरसी को अपनी वेबसाइट में तिमाही अंतराल पर इरादतन चूककर्ताओं के वाद दाखिल खातों (सूट फाइल्ड एकाउंट्स) की सूची प्रदर्शित करना चाहिए।
07 अगस्त	प्रत्येक एससी/आरसी से कम से कम एक क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) का सदस्य बनने और सीआईसी को उधारकर्ताओं के आवधिक परिशुद्ध आंकड़े/वृत्तांत उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई।
08 अगस्त	बंधक जमानत लेने वाली कंपनियों (मॉर्टगेज गारंटी कंपनियों) से संबंधित विनियामकीय ढांचे में संशोधन किए गए।
12 अगस्त	₹10 बिलियन और अधिक आस्ति आकार वाली जमा स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को ब्याज दर फ्यूचर्स बाजार में व्यापारी सदस्य के रूप में सहभागिता करने की अनुमति प्रदान की गई।
25 सितंबर	एनबीएफसी को अपनी निर्धारित जमा राशियों की रेटिंग के लिए एसएमईआर की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई।
10 नवंबर	एनबीएफसी-एनडी के लिए प्रणालीगत महत्व को निर्धारित करने की सीमा को संशोधित कर ₹1 बिलियन के स्थान पर ₹5 बिलियन कर दिया गया। एनबीएफसी-एनडी-एसआई तथा सभी एनबीएफसी-डी के लिए और कठोर विवेकपूर्ण मानक निर्धारित किए गए।
10 नवंबर	एनबीएफसी-फैक्टरों के लिए मुख्य कारोबारी शर्त को फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के अनुरूप, 75:75 से बदलकर 50:50 कर दिया गया।
01 दिसंबर	सरकार द्वारा 'धन-शोधन निवारण (दस्तावेजों का रखरखाव) संशोधन नियम, 2013' लाए जाने के बाद केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों में परिवर्तन किए गए।
02 जनवरी 2015	विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए केवाईसी अनुपालन के अद्यतन करने में सावधानियों/प्रक्रिया को संशोधित किया गया, जिसमें तृतीय पक्षकार द्वारा सत्यापन की भी मंजूरी प्रदान की गई।
16 जनवरी	वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारंभ होने की तारीख (डीसीसीओ) में परिवर्तन और परिणामस्वरूप होने वाले पुनर्भुक्तान कार्यक्रम में होने वाले परिवर्तन को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा यदि आधारभूत संरचना तथा गैर-आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं की डीसीसीओ में परिवर्तन क्रमशः दो वर्षों और एक वर्ष के अंदर हो।
19 जनवरी	आधारभूत संरचना तथा मूलभूत उद्योगों को दिए जाने वाले नए मीयादी ऋणों की लचीली पुनर्रचना करना और पुनर्वित्तीयन की अनुमति दी गई।
28 जनवरी	मूल निवेश कंपनियों, प्राथमिक डीलरों के रूप में पंजीकृत एनबीएफसी एवं किसी ग्राहक इंटरफेस के बिना पूर्णतः निवेश संबंधी गतिविधियां करने वाली एनबीएफसी को सीआईसी का सदस्य बनने संबंधी अपेक्षा से छूट दी गई।
06 फरवरी	ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा.लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए दीर्घावधि सावधि जमा उत्पादों के लिए न्यूनतम निवेश श्रेणी को एफबीबीबी के समतुल्य बनाए जाने को कहा गया।
06 फरवरी	ऋण देने वाली संस्थाओं का सभी सीआईसी का सदस्य बनना अनिवार्य किया गया।
20 फरवरी	दो समूहों में वर्गीकृत गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी किए जाने के साथ निजी स्थानन के संबंध में दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया। दो समूह इस प्रकार हैं - (ए) प्रत्येक निवेशक का अभिदान ₹20,000 से ₹10 मिलियन हो और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 अभिदाता हो सकते हैं जो पूर्णतः प्रतिभूतिकृत हों, तथा (बी) कम से कम ₹10 मिलियन या अधिक की अभिदान राशि हो और अभिदाताओं की संख्या असीमित हो तथा प्रतिभूति तैयार करने की आवश्यकता उनके बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार हो।
24 फरवरी	एससी/आरसी के शेयर धारिता के ढांचे में निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी : शेयरों का अंतरण जिसमें अंतरणकर्ता प्रायोजक बन जाता है; शेयरों का अंतरण जिसमें अंतरणकर्ता प्रायोजक नहीं रह जाता; एवं पंजीयन प्रमाणपत्र की तारीख से पांच वर्षों में प्रायोजक द्वारा कुल चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत या अधिक का सकल अंतरण किया गया हो।
16 मार्च	एनबीएफसी भी वरिष्ठ प्रबंध या समतुल्य पद धारित करने वाले व्यक्ति को नामित निदेशक के रूप में नामित कर सकती हैं।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
08 अप्रैल	एनबीएफसी-एमएफआई के लिए, शिक्षा/चिकित्सा व्यय को छोड़कर किसी उधारकर्ता की कुल कर्ज की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹100,000 कर दी गई। ग्रामीण हाउसहोल्ड उधारकर्ता, जिसकी वार्षिक आय ₹100,000 से अधिक न हो या शहरी एवं अर्द्ध-शहरी हाउसहोल्ड उधारकर्ता जिसकी आय ₹160,000 से अधिक न हो, को प्रदान किए गए ऋणों को अर्हताप्राप्त आस्ति के रूप में शामिल किया गया।
10 अप्रैल	सूचीबद्ध शेयरों के संपार्श्विक के बदले उधार देने वाली एनबीएफसी को एलटीवी (मूल्य की तुलना में ऋण) अनुपात 50 प्रतिशत बनाए रखने और जहां उधार पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए दी गई हो वहां पर ₹0.5 मिलियन से अधिक मूल्य के ऋणों के लिए सिर्फ समूह 1 की प्रतिभूतियों (जैसा सेबी निर्धारित करे) को स्वीकार करने को कहा गया।
10 अप्रैल	कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी परिष्कृत दिशानिर्देशों को एनबीएफसी-एन एवं जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी पर लागू किया गया।
30 अप्रैल	एनबीएफसी द्वारा म्यूचुअल फंड उत्पाद वितरण किए जाने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमोदन संबंधी आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
30 अप्रैल	एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते खोलने के लए एनबीएफसी को गतिविधि के प्रमाण के रूप में निर्धारित दस्तावेजों में से सिर्फ एक को स्वीकार करने के विवेकाधिकार प्रदान किए गए।
07 मई	बीआईएफआर/सीडीआर/जेएलएफ द्वारा अनुमोदित/जिनका अनुमोदन किया जाना है, वाले प्रस्तावों को की पुनर्रचना के लिए एससी/आरसी को अन्य प्रतिभूतिकृत उधारकर्ताओं के साथ ही समाप्त होने वाली समाधान अवधि (रिज़ोल्युशन पीरियड) को स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की गई।
14 मई	जिन क्षेत्रों में परियोजना प्राधिकारी की बिल्कुल उपलब्धता नहीं है वहां पर आईडीएफ-एनबीएफसी के प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के लिए आधारभूत कर्ज निधि (आईडीएफ) के संबंध में जारी निदेर्शों में संशोधन किया गया। आईडीएफ-एनबीएफसी एवं आधारभूत संरचना वित्त कंपनियों द्वारा धारित बांडों पर लागू होने वाले जोखिम भार को सभी एनबीएफसी पर लागू किया गया।
21 मई	स्वर्ण आभूषणों के लिए एलटीवी अनुपात की गणना करने हेतु बांबे बुलियन ऐसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) के साथ ही साथ फारवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा विनियमित पण्य विनिमय की दरों का भी प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई।
25 जून	एनबीएफसी-एनडी को एमटीएसएस के तहत रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा के बिना उप-अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।
	बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
01 जुलाई 2014	धोखाधड़ी के वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग की प्रणाली निर्धारित की गई, जिसमें पहले के अनुदेशों को समेकित और अद्यतन किया गया।
05 सितंबर	दबाव की परिस्थितियों में संभाव्य चलनिधि व्यवधानों के प्रति लचीलेपन पर निगरानी रखने के लिए बैंकों के लिए चलनिधि विवरणियों का निर्धारण किया गया।
05 नवंबर	चेक से संबंधित धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु उपाय किए गए।
15 दिसंबर	बैंकों से ''छद्म/झांसा देने वाले ग्राहकों'' का प्रयोग करने एवं केवाईसी/एएमएल/सीएफटी मानदंडों के अनुपालन की जांच करने के लिए औचक जांच किए जाने को कहा गया।
04 मार्च 2015	रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के अनुपालन की समीक्षा के मद्देनजर बैंकों को अनुपालन जांच तथा समीक्षा संरचना सहित समग्र अनुपालन योजना लागू करने को कहा गया।
07 मई	बैंकों को, धोखाधड़ी की प्रारंभिक अवस्था में पहचान और रिपोर्ट करने, धोखेबाज उधारकर्ताओं के लिए दांडिक उपाय करने के विषयों पर विचार करने वाले आंतरिक कार्य-दल की अनुशंसाओं के आधार पर, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंध से संबंधित ढांचे का अनुपालन करने को तथा अन्य बातों के साथ ही प्रारंभिक अवस्था में चेतावनी संकेतकों एवं रेड फ्लैग्ड खातों की संकल्पना की शुरूआत करने को कहा गया।
04 जून	बैंकों से कहा गया कि आगे से, समवर्ती लेखापरीक्षक, जो निर्धारित सीमा से नीचे की शाखाओं के सनदी लेखाकार होते हैं, अपनी लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) सिर्फ बैंक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करें और उसके बाद बैंक ऐसी सभी एलएफएआर को समेकित करके सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक को बैंक के आंतरिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करेगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
	उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण विभाग
03 दिसंबर 2014	बैंक ग्राहकों के पांच मूलभूत अधिकारों को समाहित करते हुए ग्राहक के अधिकारों का चार्टर जारी किया गया।
11 फरवरी 2015	चार्टर लागू किए जाने की स्थिति की निगरानी हेतु बैंक के बोर्ड द्वारा समीक्षा किए जाने अलावा रिज़र्व बैंक भी इस पर नज़र रखेगा।
11 मई	सरकारी बैंकों, चुनिंदा निजी एवं विदेशी बैंकों को मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी अर्थात आंतरिक ओम्बड्समैन नियुक्त करने को कहा गया।
	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
15 दिसंबर 2014	स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम (स्टैंडअलोन) प्राथमिक डीलरों (पीडी) से संबंधित परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों की मात्रा के एनओएफ को, 31 दिसंबर 2014 से, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार पहले जैसे 100 प्रतिशत कर दिया गया। बाजार में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होने के कारण सितंबर 2013 में इसे 200 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।
	मुद्रा प्रबंध विभाग
31 दिसंबर 2014	2005 से पहले छापे गए बैंक नोटों को बदलने की समय सीमा 31 दिसंबर 2014 से बढ़ाकर 30 जून 2015 कर दी गई।
03 फरवरी 2015	रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा गया कि मुद्रा प्रबंध हेतु, चिह्नित जिलों में लीड बैंक योजना को एक और वर्ष तक प्रायोगिक तौर पर जारी रखें और नोडल बैंकों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करें।
17 अप्रैल	बैंकों द्वारा करेंसी चेस्ट खोलने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया को बहु-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया के स्थान पर युक्तिसंगत/सरल बनाया गया है। अब, निर्धारित शर्तों के अधीन सिर्फ एक बार अंतिम अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
26 जून	2005 से पहले छापे गए बैंक नोटों को बदलने की समय सीमा 30 जून 2015 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2015 कर दी गई।
	भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग
14 अगस्त 2014	अन्य बैंकों के एटीएम से मुफ्त लेनदेन की अधिकतम संख्या को युक्तिसंगत बनाते हुए पांच के स्थान पर तीन किया गया और छह मैट्रो केंद्रों में स्वयं के बैंक के एटीएम लेनदेन को पांच निर्धारित किया गया।
22 अगस्त	भारत स्थित बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्डों का प्रयोग देश के भीतर कार्ड रहित भुगतान करने के लिए किए जाने पर ऐसे लेनदेन भारत स्थित बैंक के माध्यम से किए जाने चाहिए और भुगतान भारतीय मुद्रा में ही किया जाना चाहिए।
28 नवंबर	भारत बिल भुगतान प्रणाली के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए जिसके कारण स्थान को ध्यान में रखे बिना ग्राहकों द्वारा बिल भुगतानों के लिए अखिल भारतीय संपर्क बिंदुओं की स्थापना की जा सके।
03 दिसंबर	पीपीआई से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखत शामिल हैं - पूर्ण केवाईसी सहित पीपीआई के मूल्य में बढ़ोत्तरी करना, उपहार कार्डों की वैधता अवधि में वृद्धि करना, आश्रितों/परिवार के सदस्यों के लिए विभिन्न पीपीआई जारी करने की अनुमति प्रदान करना, यात्रा पर आए विदेशी नागरिकों/एनआरआई के लिए रुपया में मूल्यवर्गित पीपीआई जारी करना।
03 दिसंबर	एमएसएमई के लिए तीव्र एवं दक्ष वित्तीयन विकल्प उपलब्ध कराने हेतु टीआरईडीएस की स्थापना के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।
04 दिसंबर	मोबाइल बैंकिंग लेनदेन के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं, यथा प्रक्रियाओं का और अधिक मानकीकरण करना, नामांकन के विकल्प तथा समय, एमपीआईएन (एमपिन) जेनेरेट करने करने की प्रक्रिया को तीव्र बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों/प्रणालियों का अपनाए जाने, उपभोक्ता शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, को अपनाए जाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए।
05 दिसंबर	डब्लूएलए में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्डों को स्वीकार करने की अनुमति दी गई, डब्लूएलए में अंतरराष्ट्रीय कार्डों के लिए तीव्र मुद्रा अंतरण (डायनेमिक करेंसी कनवर्जन) की सुविधा तथा नगद की आपूर्ति के लिए अन्य वाणिज्य बैंकों से गठबंधन करने की भी सुविधा प्रदान की गई।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
15 दिसंबर	आरटीजीएस के कारोबारी घंटों को कार्य दिवसों में बढ़ाकर - 8:00 से 20:00 बजे तक तथा शनिवार को 8:00 से 15:30 बजे तक कर दिया गया।
02 जनवरी 2015	प्राधिकृत संस्थाओं से कहा गया कि उत्पादों के संबंध में सार्वजनिक सूचना में प्राधिकृत संस्था का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
16 जनवरी	किसी संस्था को पीएसएस अधिनियम के तहत प्राधिकृत किए जाने के लिए *'निवल मालियत'* की गणना के संबंध में निर्देश जारी किए गए।
07 मई	01 सितंबर 2015 से, जारी किए जाने वाले सभी कार्डों - डेबिट या क्रेडिट, घरेलू या अंतरराष्ट्रीय, सभी में ईवीएम चिप होनी चाहिए और उनमें पिन का प्रावधान किया जाना चाहिए।
14 मई	संपर्क-रहित कार्ड का प्रयोग करते हुए कार्ड के साथ कम मूल्य के लेनदेन के संबंध में अतिरिक्त पुष्टिकरण घटक की आवश्यकता में ढील दी गई।